

## राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

क्र. सं.	अपील संख्या	अपीलार्थीगण का नाम	प्रत्यर्थी विभाग
1.	657/2016	बीना	1. राजस्थान राज्य जरिये पुलिस महानिदेशक, मुख्यालय, लालकोठी, जयपुर 2. पुलिस आयुक्त, पुलिस आयुक्तालय, जयपुर, राजस्थान। 3. झाबरमल, कॉस्टेबल सं.4574, पुलिस आयुक्त, पुलिस आयुक्तालय, जयपुर, राजस्थान।
2.	658/2016	बीना	1. राजस्थान राज्य जरिये पुलिस महानिदेशक, मुख्यालय, लालकोठी, जयपुर 2. पुलिस आयुक्त, पुलिस आयुक्तालय, जयपुर, राजस्थान। 3. शीशराम कानि. न. 648, पुलिस आयुक्त, पुलिस आयुक्तालय, जयपुर, राजस्थान

आदेश की दिनांक : 09.09.2024

उपस्थित :-

अपीलार्थीगण की ओर से : श्री एम.एस. राघव, अधिवक्ता

समक्ष :- अनन्त भण्डारी, सदस्य (न्यायिक)  
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

### आदेश

- अपीलार्थीगण के अधिवक्ता ने इस स्तर पर अपीलों में गुणावगुण पर बहस करना नहीं चाहते हैं एवं उन्होंने अपीलों को विद्रा (Withdrawal) किये जाने की प्रार्थना की है। साथ ही यह प्रार्थना की है कि आवश्यक होने पर उन्हें नई अपील प्रस्तुत करने की छूट दी जाए।
- अपीलार्थीगण के अधिवक्ता द्वारा अपीलों को विद्रा (Withdrawal) किये जाने की प्रार्थना किये जाने के आधार पर अपीलें खारिज की जाती है। साथ ही यह भी स्पष्ट किया जाता है कि अपीलार्थीगण भविष्य में आवश्यक होने पर नई अपील प्रस्तुत करने के लिये स्वतंत्र रहेंगे।
- मूल आदेश को अपील संख्या 657/2016 में एवं इसकी छायाप्रति अपील संख्या 658/2016 में संलग्न की जावें।

(चेतन राम देवड़ा)  
सदस्य

(अनन्त भंडारी)  
सदस्य (न्यायिक)